


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़.

क्रमांक/राजस्वा/25/7712 दिनांक 29.12.25

:- आदेश :-

तहसीलवार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर
जमावंदी सन्वत् 2072 ता 75 डे आता सं. 40/17
में काशवकाद का नाय " धुपलाल पुत्र श्रीमाराय"
के खाते पर " विजयसिंह उर्फ धुपलाल पुत्र श्रीमाराय"
उसके खाते का भारपा रिसा जाता है शेष अंश यथापद
रहेगा


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMR
2025/697